राज्य सरकार की नीतियाँ तथा सहायक संरचना

राज्य सरकार की नीतियाँ तथा सहायक संरचना

लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर संगठनात्मक संरचना निम्न है :

1. राज्य उद्योग निदेशालय (डी आई)
2. जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी)
3. राज्य वित्तीय निगम (एस एफ सी)
4. राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एस एस आई डी सी)

उद्योग निदेशालय (डी आई)

लघु उद्योगों के विकास का मुख्य दायित्व राज्य/संघ शासित प्रदेश का होता है। वे एक व्यापक शृंखला में सुविधाएँ, रियायतें तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराते हैं। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लघु इकाइयों को स्वयं को राज्य उद्योग निदेशालयों/संघ शासित राज्यों के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित है। कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएँ/प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं उनमें शामिल हैं :

- औद्योगिक सम्पदा में सरल मानदण्डों पर भूमि विकसित भूखण्ड तथा शेड उपलब्ध कराना।
- विकसित स्थल पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ जैसे बिजली, जल, संचार आदि।
- चुनिन्दा पिछड़े हुए क्षेत्रों में विभिन्न दरों पर नियत परिसम्पत्ति के निवेश पर पूँजी सहायता।
- बिक्री कर विलम्बित/कर छुट्टी
- चुंगी, बिजली शुल्क, स्टॉप शुल्क में राहत
- कम दर पर ब्याज
- पावर सब्सिडी, जेनरेटिंग सेट पर सब्सिडी
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता
- आरम्भ परियोजनाओं के लिए बीज संपदा।
- तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु सब्सिडी
- अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों में उत्पादों के परीक्षण हेतु सब्सिडी।

ये रियायतें सभी राज्यों में एक समान नहीं है। उनकी विषय-वस्तु, प्रकृति तथा सहायता देने की मात्रा राज्यों व संघशासित प्रदेशों में भिन्न-भिन्न हैं।

जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी)

जिला उद्योग केन्द्र प्रत्यक्ष रूप में उद्योग निदेशालयों के अन्तर्गत उनके क्षेत्रीय अभिकरणों के रूप में कार्य करती हैं। लघु उद्योगों का पंजीकरण जिला उद्योग केन्द्र पर किया जाता है। राज्य/संघ शासित सरकार की विस्तृत भूमिका निम्न पैराग्राफों में बताई गई है। लघु उद्योगों के विकास तथा संवर्धन में जिला उद्योग केन्द्र एक अहम भूमिका निभाते हैं।

राज्य वित्तीय निगम (एस एफ सी)

- राज्य वित्तीय निगम (एस एफ सी) राज्य स्तर पर कार्य करती है जिनका उद्देश्य लघु तथा मझोले उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा संवर्धन करना है।
- वर्तमान में देश में 18 राज्य वित्तीय निगम हैं।
- एस एफ सी, औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता आवधि ऋण, इक्विटी/डिबेंचर पर प्रत्यक्ष अंशदान, गारंटी तथा बिल डिस्काउंटिंग में सहायता उपलब्ध कराते हैं।
- आई डी बी आई/सिडबी द्वारा लघु उद्योगों पर बनाई गई पुनर्वित तथा इक्विटी प्रकार की सहायता सम्बन्धी अनेक योजनाओं का प्रचालन एस एफ सी द्वारा होता है।

राज्य वित्त निगमों के पुन:संरचना पर जी पी गुप्ता समिति

- जी. पी. गुप्ता समिति सितम्बर 2000 में स्थापित की गई जिसका कार्य एस एफ सी के कार्यों को देखना तथा उनके पुन: संरचना तथा पुनरुज्जीवन पर सिफारिश देना था।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट को 30 जनवरी 2001 को सरकार को प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम रूप दिया।
- समिति की मुख्य सिफारिशें हैं :

(i) एस एफ सी को उनके पुन:संरचना/पुन: पंजीकृत करने हेतु 2 विस्तृत श्रेणियों में बाँटा जाए

(क) श्रेणी I : वे जिनके पुनरुज्जीवन के लिए अच्छी सम्भावना है। इस श्रेणी में 14 एस एफ सी के पुनर्वित्तीयकरण हेतु कुल 2450 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है जिसमें 130 करोड़ रु. वी आर एस के लिए तथा 50 करोड़ रु. आकस्मिक व्ययों हेतु शामिल हैं।

(ख) श्रेणी II : शेष 4 एस एफ सी जिनके पुनरुज्जीवन की सामान्य से भी कम सम्भावना है, निधियों की आवश्यकता अनुमानत: 1150 करोड़ रु. है, जिसमें 35 करोड़ रु. वी आर एस तथा 50 करोड़ रु. आकस्मिक व्ययों के शामिल हैं।

(ii) अपेक्षित निधियों को 4 वर्षों में फैलाया जा सकता है (वित्तीय वर्ष 2002 से वित्तीय वर्ष 2005)

(iii) कुल अपेक्षित 3600 करोड़ रु. के निम्न प्रकार भाग कर सकते हैं :

भारत सरकार	–	900 करोड़ रु.
भारतीय रिजर्व बैंक	–	900 करोड़ रु.
राज्य सरकारें	–	900 करोड़ रु.
आई डी बी आई	–	450 करोड़ रु.
सिडबी	–	450 करोड़ रु.
कुल	–	3600 करोड़ रु.

चूँकि केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/आई डी बी आई/सिडबी, एस एफ सी के पुन:वित्तीयकरण की भागीदारी के मामले में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, अत: एस एफ सी के पुन: वित्तीयकरण की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालने का अनुरोध किया गया है।

राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एस एस आई डी सी)

राज्य लघु उद्योग निगम, कच्चे माल की अधिप्राप्ति तथा विपणन आदि में सहायता करते हैं।

राज्य की नीतियाँ तथा योजनाएँ

राज्य सरकारें लघु उद्योग इकाइयों को उद्योग निदेशालयों तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से तकनीकी तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। सहायता तथा सुविधाओं के मुख्य क्षेत्र हैं :

- औद्योगिक सम्पदाओं का सृजन तथा संवर्धन
- बिक्री कर में छूट/रियायत
- बिजली में राजसहायता
- आरम्भिक पूँजी/मार्जिन मनी सहायता योजनाएँ
- औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन आबंटनों हेतु भाड़ा-क्रय योजना।
- विभिन्न सुविधाओं जैसे पावर कनेक्शन, जल कनेक्शन आदि के आबंटन में प्राथमिकता
- परामर्श तथा तकनीकी सहायक सेवाएँ।

लघु इकाइयों को आवधिक ऋण, राज्य वित्त निगमों (एस एफ सी), राज्य लघु उद्योग विकास निगमों तथा भूमि विकास निगमों द्वारा उपकरणों को पट्टे पर देने, संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद, भूमि विकास, औद्योगिक सम्पदा के संवर्धन तथा अन्य विकास प्रयासों की सहायतार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं।

लघु उद्योगों के लिए राज्य सरकार की प्ररूपी संरचना नीतियाँ तथा प्रोत्साहन

- औद्योगिक विकास तथा विनिवेश निगम द्वारा औद्योगिक सम्पदाओं का विकास तथा प्रबन्धन।
- नई इकाइयों को (उच्चतम सीमा के अनुसार) नियत पूँजीनिवेश पर 15% से 25% तक सीमा में पूँजी निवेश सहायता।
- इकाइयों को नियत अवधि (5 से 10 वर्षों तक) तक

बिक्री कर छूट/विलम्बन लाभ की मात्रा, नियत पूँजी निवेश तथा कर की देनदारी पर सीमित होगी।

- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से लाई गई विद्युत के उपयोग हेतु प्रोत्साहन/राजसहायता
- महिलाओं तथा कमजोर वर्गों हेतु विशेष सहायता
- सरल मानदण्डों पर आरम्भिक पूँजी/मार्जिन मनी सहायता योजना।
- सम्भाव्य अध्ययन/आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु अण्डरराइटिंग कॉस्ट।
- औद्योगिक क्षेत्रों में भाड़ा-क्रय या पट्टा आधार पर भूमि/शेड का आबंटन।
- जिला/राज्य स्तर पर निकासी तथा विवाद को निपटाने के लिए अधिकारप्राप्त समितियाँ।
- पिछड़े जिलों जहाँ कोई उद्योग नहीं हो, ऐसे जिलों में 'अग्रणी' इकाई स्थापित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन।
- राज्य निगमों द्वारा संयुक्त/सहायक क्षेत्र परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी।

विभिन्न राज्यों की औद्योगिक नीतियों के पर्यावलोकन हेतु, कृपया हमारे नोलिज पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. स्मालइंडस्ट्रइंडिया.काम अथवा

डब्लयू डब्ल्यू डब्ल्यू.लघु-उद्योग.काम देखें।

लघु इकाइयों, नियत निवेश तथा रोजगार का अनुमानित राज्यवार ब्यौरा
(31 मार्च, 2002 को यथास्थिति)

राज्य कोड	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	इकाइयों की सं.	शेयर %	नियत निवेश (रूपए करोड़ों में)	शेयर %	रोजगार (संख्या)	शेयर %	निवेश प्रति इकाई	रोजगार प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू और कश्मीर	32,245	1.18	2330.33	3.49	140911	1.01	0.0725	4.37
2.	हिमाचल प्रदेश	17.740	0.65	420.12	0.63	75572	0.54	0.0237	4.26
3.	पंजाब	155,197	5.68	3166.43	4.72	685971	4.92	0.0204	4.42
4.	चंड़ीगढ़	3,102	0.11	927.46	1.38	30657	0.22	0.2990	9.88
5.	उत्तरांचल	34,920	1.28	373.97	0.56	138177	0.99	0.0107	3.96
6.	हरियाणा	55,409	2.03	1015.58	1.52	312126	2.24	0.0183	5.63
7.	दिल्ली	19,804	0.73	497.79	0.74	178233	1.28	0.0251	9.00
8.	राजस्थान	90,366	3.31	2548.7	3.80	382248	2,74	0.0282	4.23
9.	उत्तर प्रदेश	389,013	14,24	4166.03	6.21	1540491	11.06	0.0107	3.96
10.	बिहार	92,095	3.37	308.85	0.46	149803	1.08	0.0034	1.63
11.	सिक्किम	342	0.01	28.36	0.04	3399	0.02	0.0829	9.94
12.	अरुणांचल प्रदेश	653	0.02	120.21	0.18	2933	0.02	0.1841	4.49
13.	नगालैंड	1.643	0.06	9.60	0.01	4025	0.03	0.0058	2.45
14.	मणिपुर	5,975	0.22	39.63	0.06	29827	0.21	0.0066	4.99
15.	मिजोरम	4,911	0.18	80.87	0.12	29122	0.21	0.0165	5.93
16.	त्रिपुरा	2,127	0.08	16.62	0.02	9635	0.07	0.0078	4.53
17.	मेघालय	3,029	0.11	27,77	0.04	17379	0.12	0.0092	5.74
18.	असम	26,358	0.97	1412.85	2.11	129945	0.93	0.0536	4.93
19.	पं. बंगाल	153,670	5.63	3763.16	5.61	639267	4.59	0.0245	4.16
20.	झारखंड	41,089	1.50	137.80	0.21	66836	0.48	0.0034	1.63
21.	उड़ीसा	23,264	0.85	569,7	0.85	205886	1.48	0.0245	8.85
22.	छत्तीसगढ़	72,883	267	306.20	0.58	172346	1.24	0.0055	2.36
23.	आन्ध्र प्रदेश	220,100	8.06	1166.27	1.74	520470	3.74	0.0053	2.36
24.	गुजरात	194,435	7.12	7411.57	11.06	1069393	7.68	0.0381	5.50
25.	दमन और दीप	1,874	0.07	45,89	0.07	37705	0.27	0.0245	20.12
26.	दादर और नगर हवेली	1,317	0.05	274.5	0.41	18161	0.13	0.2084	13.79
27.	महाराष्ट्र	150,996	5.53	15730.80	23.47	1008662	7.24	0.1042	6.68
28.	आन्ध्रप्रदेश	131,685	4.82	1768.33	2.64	844101	6.06	0.0134	6.41
29.	कर्नाटक	178,330	6.53	3977.91	5.93	918400	6.59	0.0223	5.15
30.	गोवा	6,389	0.23	286.3	0.43	43829	0.31	0.0448	6.86
31.	लक्षदीप	82	0.00	0.75	0.00	335	0.00	0.0091	4.09
32.	केरल	238,431	8,73	3961.67	5.91	1100138	7.90	0.0166	4.61
33.	तमिलनाडु	375,262	13,74	9752.89	14.55	3377358	24.24	0.0260	9.00
34.	पांडिचेरी	5,152	0.19	287.6	0.43	42349	0.30	0.0558	8.22
35.	अंडोमान निकोबार	1,284	0.05	10.4	0.02	5483	0.04	0.0081	4.27
अखिल भारतीय योग		2731172	100.00	67031.882	100.00	13931172	100.00	0.0245	5.10

लघु उद्योगों हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशवार मुख्य प्रोत्साहन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
अरुणाचल प्रदेश	20% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये होगी, 20% पूँजीनिवेश राजसहायता में से 50% सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख नकद सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, शेष 50% सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख होगी, नई मशीनरी के आयात, उद्यमियों को प्रशिक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु, कच्चा काल, तैयार उत्पाद हेतु परीक्षण तथा प्रमाणन सुविधाओं के लिए दी जाएगी; अनु. जाति/ अनु. जनजाति के उद्यमियों हेतु 20 लाख तक के पूँजीनिवेश पर अतिरिक्त 10% की नकद राजसहायता दी जाएगी।	पाइपलाइन उद्योगों के लिए बिक्री कर प्रोत्साहन को 31 दिसम्बर 1999 को बढ़ाया गया है बशर्ते वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च 2002 से पहले आरम्भ हो।	सभी औद्योगिक इकाइयों हेतु केपेटिव पावर जेनरेशन की अनुमति 10% जल विद्यमान परियोजनाओं से तथा नई परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया गया है। पात्र इकाइयाँ—इकाइयाँ जिन्होंने उत्पादन 1 अप्रैल 2000 से या उसके बाद से तथा 31 मार्च 2005 से पहले आरम्भ किया है।	लागू नहीं	औद्योगिक उपयोग के लिए रखी गई भूमि के लिए स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस तथा स्थानान्तरण शुल्क पर 50% छूट की अनुमति दी गई है।
आन्ध्र प्रदेश	15% की दर से (उत्पादन की तारीख तक)	लागू नहीं	अधिकतम 3 वर्ष, विद्युत प्रशुल्क की प्रतिशतता पर सब्सिडी की दर समय-समय पर अधिसूचित की जाती है।	सम्भाव्यता अध्ययन तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत के 50% या 25 लाख रुपये भूमि का आबंटन : नई इकाइयों के लिए 40 वर्षों का पट्टा; विद्यमान इकाइयों को पट्टा किराया छूट के लिए स्वामित्व का प्रमाण देना आवश्यक है। नई इकाइयों को रियायती दरों पर अधिकतम 3 वर्षों के लिए शेड आबंटित किए जाते हैं।	गुणवत्ता नियन्त्रण : परीक्षण उपकरण खरीद हेतु 25% सब्सिडी दी जाती है। एकल खिड़की स्वीकृति (एस डब्ल्यू सी) तकनीकी जानकारी हेतु सब्सिडी : तकनीकी जानकारी प्राप्त करने पर होनेवाले खर्चे हेतु लागत के 50% की प्रतिपूर्ति या 50,000 रु. (इसमें जो भी कम हो)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
असम	30% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रु. है।	एस एस आई/अति लघु/एस एस एस बी ई : 150% की दर से, 7.5 वर्ष इकाइयाँ जो विस्तार/आधुनिकीकरण के चरण में हैं : अतिरिक्त पूँजी निवेश पर 100%, 7 वर्षों हेतु	उत्पादन की तारीख से 5 वर्षों के लिए कनेक्टिड लोड पर वार्षिक पावर सब्सिडी : 1 मेगावाट तक – 50% की दर से जिसकी सीमा 5 लाख रुपये है। 1 मेगावाट से 5 मेगावाट तक 30% की दर से, 15 लाख रु. तक सीमित 5 मे. वा. से ऊपर – 20% की दर से, 30 लाख रु. तक सीमित जेनरेटिंग सेट : डी जी सेट सब्सिडी 50% की दर से, 10 लाख रु. तक सीमित	आबंटित भूमि की लागत (विकसित) तथा आधारभूत सुविधाओं की वसूली 15 वर्षों की अवधि में होगी। अविकसित भूमि पर विकास की लागत पर ब्याज रहित ऋण दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रु. है, ओवरराइडिंग ब्याज रहित ऋण पर 3% की दर से, जिसकी सीमा 5 लाख रु. होगी। कुल 10 लाख रु. तक की लागत की परियोजनाओं के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट की लागत को आर्थिक सहायता की सीमा 100% है : 10 लाख रु. से ऊपर की परियोजनाओं के लिए 90% (दोनों ही मामलों में सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50,000 रु. है)	कंपनी की जारी पूँजी में 20% तक इक्यूटी भागीदारी जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। 2 लाख रुपये तक की पूँजीनिवेश इकाइयों पर 1 लाख रुपये तक की श्रमशक्ति सहायता : इकाइयाँ जिनकी 2 लाख से 5 लाख तक के बीच में पूँजीनिवेश है, को 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। कृषि तथा खाद्य संसाधित उद्योगों के लिए 5% की दर से अतिरिक्त पूँजी निवेश सहायकी (अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये है।) 60 लाख रुपये तक के पूँजीनिवेश पर 3 वर्षों की अवधि के लिए 5% ब्याज सहायकी, जिसकी सीमा प्रतिवर्ष 30 लाख रु. है।
बिहार	नई इकाइयाँ : उत्पादन आरम्भ होने तक 15% की दर से, विद्यमान लघु/आनुषंगिक इकाइयाँ : 15% की दर से या 7.50 रु./5 लाख रु. अधिकतम (इसमें जो भी कम हो, जिला जहाँ इकाई स्थापित हो, पर निर्भर	नई इकाइयाँ : स्थान पर आधारित – 175% की दर से या 10 वर्ष (जो भी पहले हो) या 125% की दर से या 8 वर्ष (इसमें जो भी पहले हो।)	15 पैसे प्रति यूनिट की दर से सहायता	परियोजना तैयार करने की लागत : नियत पूँजी फोरमेशन पर 1% की दर से या 20,000 रु. (जो भी कम हो) औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं में भूमि तथा शेड का आबंटन : 30 वर्ष के लिए	लागू नहीं

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
	करता है।) वृद्धि केन्द्रों/गैर आवासीय भारतीयों (एन आर आई)/अनुसूचित जाति (एस सी)/अनुसूचित जनजाति (एस टी) में स्थापित इकाइयों के उद्यमी। 20% की दर से या 7.5 लाख अधिकतम विस्तार/परिवर्तन पर : नई नियत परिसम्पत्ति के वास्तविक निवेश पर, इकाई को अधिकतम 10 लाख रु. प्राप्त हो सकते हैं (विभिन्न जिलों के लिए राशि अलग-अलग है।)			पट्टे पर (भूमि तथा शेड); लागत 10 वर्षों के बाद वसूली जाएगी।	
गोआ	25% की दर से, (अधिकतम 10 लाख रु.) 60 लाख तक के पूँजी निवेश की इकाइयों पर, निर्दिष्ट उद्योगों हेतु 27 जनवरी 2000 से प्रभावी।	31 मार्च 2002 को या उसके पहले प्रथम बिक्री पर लघु उद्योगों के लिए 10 वर्षों के लिए बिक्री कर में छूट	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थाई रूप से पंजीकृत लघु इकाइयों को जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी पावर सहित नियोजित हों या 20 या अधिक कर्मचारी हों के लिए वर्ष 2002 तक आयकर में छूट। लघु इकाइयों को ऋण तथा पट्टा करार आदि दस्तावेजों के सम्बन्ध में कानूनी दस्तावेजों के कार्य को करने के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क में 50% की कमी। सम्भाव्यता परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत पर 50% सहायता पंजीकृत लघु इकाइयों के सरकारी विभागों से खरीद पर 15% मूल्य में तरजीह दी जाएगी

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
गुजरात	नई वित्त पोषित इकाइयों के लिए नियत पूँजी निवेश पर 10% की दर से सहायता	विद्यमान पात्र इकाइयाँ जो नए उत्पादों के लिए पूर्व की योजनाओं में प्रोत्साहन ले रही हैं, को बिक्री कर लाभ	लागू नहीं	राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों/एस एस एस बी ई के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने के लिए पंजीकृत इकाइयों की व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति की जाएगी (अधिकतम 20 लाख रु.)	नई इकाइयों के लिए 5 वर्षों हेतु प्रतिवर्ष 5% की दर से ब्याज सहायता दी जाएगी। (अधिकतम 25 लाख रु.) विद्यमान इकाइयों के विस्तार/परिवर्तन के लिए प्रतिवर्ष 3% की दर से (अधिकतम 15 लाख रु.) शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु सेवा उद्योग के लिए प्रथम तीन वर्षों में 5% की दर से ब्याज सहायता (अधिकतम 5 लाख रु.) गुणवत्ता प्रमाणन सहायता 50% की दर से, अधिकतम 2 लाख रु. व्यय के 50% की दर से पेटेंट तथा आई पी आर पर सहायता (5 लाख रु. अधिकतम) निर्दिष्ट पिछड़े तालुक में नई इकाइयों के लिए सभी नई योजनाओं के अन्तर्गत 25% की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
हरियाणा	पिछड़े क्षेत्रों की इकाइयों हेतु 25% की दर से सहायता (25 लाख रु. अधिकतम) विकसित खण्डों में स्थापित इकाइयों के लिए 15% की दर से सहायता (15 लाख रु. अधिकतम)	5 वर्ष से 9 वर्ष की अवधि के लिए 125% तथा 150% की दर से तथा नई इकाइयों के लिए स्लाइडिंग स्केल के अनुसार एस एस आई के लिए 11 वर्ष (इकाई के स्थल के अनुसार) हेतु राहत उपर्युक्त स्केल के अनुसार केवल 5 वर्षों के लिए संयंत्र तथा मशीनरी पर 50% की दर से विस्तार/परिवर्तन इकाइयों के लिए राहत	विद्युत कर में 5 वर्षों की छूट	लागू नहीं	ग्रामीण क्षेत्र की सूक्ष्म इकाइयों को मूल्यों में 10% की तरजीह दी जाती है।
हिमाचल प्रदेश	निजी क्षेत्रों की सूक्ष्म इकाइयों को केवल नई परिसम्पत्ति सृजन करने हेतु 10% की दर से सब्सिडी जिसकी सीमा 0.25 मिलियन रु. है।	नई ग्रामीण तथा अति लघु इकाइयाँ जिनका नियत पूँजी निवेश 10 लाख रु. है तथा जो पूर्णत: एच पी के वी आई बी/के वी आई सी द्वारा वित्तपोषित हों, उन्हें पिछड़े क्षेत्रों में 8 वर्षों के लिए बिक्री कर में छूट दी जाएगी तथा अन्य क्षेत्रों में 8 वर्षों की छूट दी जाएगी, अन्य इकाइयों को 60 लाख तक की बिक्री पर 25% की दर से 8 वर्षों के लिए बिक्री कर देना होगा; पिछड़े क्षेत्रों में 45 लाख तक की बिक्री पर 5 वर्षों के लिए, अन्य क्षेत्र; पिछड़े क्षेत्रों के लिए 8 वर्षों के लिए बिक्री कर में छूट तथा 5 वर्ष अन्य क्षेत्रों के लिए; जी एस टी 1% की दर से कच्चे माल पर 31.3.2009 तक टिम्बर शैल तथा चूना को हटाकर, नई इकाइयों द्वारा 31.3.2009 तक माल के विनिर्माण पर 1% की दर से सी एस टी	प्राथमिक क्षेत्र की नई इकाइयों को विद्युत शुल्क में 8 वर्षों के लिए पिछड़े क्षेत्रों में छूट तथा अन्य क्षेत्रों में 5 वर्षों के लिए छूट दी जाएगी, केपेटिव पावर जेनरेशन पर कोई शुल्क देय नहीं है।	औद्योगिक क्षेत्र में भूमि 95 साल के पट्टे पर आबंटित की जाती है, 30% आबंटन के समय देय होगा तथा शेष राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में देय होगी।	पिछड़े क्षेत्रों के अति लघु तथा लघु इकाइयों के लिए 4% की दर से ब्याज सहायता जो प्रतिवर्ष 0.2 मि. रु. तक सीमित है तथा प्राथमिक क्षेत्र की इकाइयों हेतु 6 वर्ष बशर्ते कि वे सहायता के बाद न्यूनतम 8% ब्याज अदा करे, हिमाचल प्रदेश में निर्मित उत्पादों के लिए 15% की मूल्यों में तरजीह दी गई है। व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करने की लागत पर 50% की दर से सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा अति लघु इकाइयों के लिए 10,000 रु. तथा लघु इकाइयों के लिए 20,000 रु. होगी।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
जम्मू व कश्मीर	30% की दर से, बशर्ते प्राथमिक क्षेत्र के लिए उच्चतम सीमा 30 लाख रु., इकाइयों के लिए 45 लाख रु., जिन क्षेत्रों पर बल दिया जाना है उसमें 75 लाख रु. तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 60 लाख रु.।	5 वर्षों की अवधि के लिए कोई जी एस टी नहीं; नकारात्मक सूची पर कच्चे माल की अधिप्राप्ति इकाइयों पर कोई जी एस टी नहीं	10 किवा. से 1000 किवा. की क्षमता वाले नए डी जी सेट के लिए 100% की दर से सब्सिडी	भूमि/औद्योगिक खण्डों/शेड तथा फ्लेटों का आबंटन 90 वर्षों के लिए पट्टा आधार पर अनुसन्धान पर विकास कार्यों पर 50% सब्सिडी जो प्रत्येक परियोजना के लिए 5 लाख रु. तक सीमित है, प्रशिक्षण के लागत की 50% प्रतिपूर्ति होगी बशर्ते कि प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति कोर्स का 5000 रु. हो जो प्रति इकाई 1000 रु. तक सीमित है।	बयाना/प्रतिभूति जमा : लघुइकाइयों को राशि का केवल 50% या 5000 रु. देना अपेक्षित होगा, टेंडर दस्तावेज मूल्य के 50% की दर से या 100 रु. आपूर्ति होगा, बन्धक विलेख को 31 मार्च तक स्टाम्प शुल्क, टोलकर आदि से छूट होगी तथा नई इकाइयों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 31 मार्च 2003 तक कार्यकारी पूँजी पर 5% ब्याज सहायता तथा नई इकाइयों के लिए 5 वर्षों हेतु, परीक्षण उपकरणों पर 100% पूँजी सहायता उपलब्ध होगी, जो 50 लाख रु. तक सीमित होगी तथा इकाई में कुल पूँजी निवेश के 25% तक प्रतिबन्धित होगी, तैयार उत्पाद पर हवाई माल भाड़ा सहायता किसी भी स्थान पर ले जाने के लिए 50% की दर से, जो नई इकाइयों के लिए 5 वर्षों हेतु 5 लाख रु. तक सीमित है। स्टाम्प शुल्क से छूट : कच्चे माल, ईंधन तथा राज्य के बाहर से आनेवाले भोज्य पदार्थों पर 5 वर्षों के लिए कोई पथकर नहीं है, स्थानीय लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल पर कोई पथकर नहीं है।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
					हवाई माल भाड़ा सहायता : 50% की दर से, उत्पादन आरम्भ होने से 5 वर्षों की अवधि के लिए 5 लाख रु. की अधिकतम सीमा।
कनार्टक	केवल अति लघु इकाइयाँ ही पात्र : जोन I तथा जोन II में 25% या अधिकतम 10 लाख रु. (सामान्य श्रेणी के उद्यमियों हेतु), 25% या 11 लाख रु. अधिकतम (उद्यमियों की विशेष श्रेणी हेतु), बल देने वाले तथा वृद्धि केन्द्रों में 30%, जो 12 लाख रु. तक सीमित है। इकाइयाँ जो बल देने वाले क्षेत्रों में है तथा उद्यमियों की विशेष श्रेणी के लिए 5% की दर से या 1 लाख रु. अधिकतम अतिरिक्त पूँजी निवेश सब्सिडी	नई इकाइयाँ : इकाइयाँ जो विकसित, विकासशील तथा वृद्धि केन्द्रों में स्थित है, के लिए अतिलघु 150% की दर से 4(6) वर्षों, 6(8) वर्षों, 7(8) वर्षों तक क्रमश: लघु उद्योग इकाइयाँ : 100% की दर से उपर्युक्त स्थल के समान स्थल के लिए क्रमश: 4(6) वर्षों, 6(8) वर्षों, 7(8) वर्षों तक। विद्यमान इकाइयाँ (अति लघु और लघु) विकसित क्षेत्रों विकासशील केन्द्रों में विस्तार/परिवर्तन कराने पर 60%, 80% तथा 80% की दर से 4(6) वर्षों, 6(8) वर्षों तथा 7(8) वर्षों के लिए क्रमश: (कोष्ठक में दिए गए आँकड़े बिक्री कर से आस्थगन के वर्ष बताते हैं) कृषि-खाद्य उद्योग-नई इकाइयों के लिए 10 वर्षों के लिए 200% की छूट तथा 12 वर्षों के लिए 150% की छूट वृद्धि केन्द्रों में एग्रो-फूड उद्योगों में 12 वर्षों की छूट तथा 14 वर्षों की छूट दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रु. है।	इकाइयाँ जो केपेटिव पावर जेनरेशन का उपयोग करती हैं, उन्हें विद्युत कर में 5 वर्षों की छूट दी जाती है। एग्रो-फूड उद्योग—कोई विद्युत की कटौती नहीं तथा केपेटिव पावर इकाइयों के लिए 10 वर्षों के लिए विद्युत कर में कटौती आयकर उद्योगों को विद्युत की कटौती से छूट	निजी/सहकारी क्षेत्रों में संवर्धित औद्योगिक सम्पदा के लिए 20% की दर से 20 लाख रु. तक	स्टाम्प शुल्क की अदायगी से छूट; पंजीकरण प्रभार रियायती दर पर इकाइयाँ जो ऊर्जा के नवीकरण/केपेटिव जेनरेशन के लिए संयंत्रों की स्थापना करते हैं, को 10% की दर से अतिरिक्त पूँजी निवेश सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रु. है।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
केरल	नियत पूँजी निवेश पर 10% की दर से अधिकतम 5 लाख रु.; बल देनेवाले उद्योगों पर 15% अधिकतम 15 लाख रु.; आयकर उद्योगों हेतु 15% की दर से तथा अधिकतम 25 लाख रु. इडुकी, वेनाड़ तथा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की पात्रता 10% की दर से अधिकतम 10 लाख; इडुकी तथा वेनाड जिलों के बल देने योग्य क्षेत्र इकाइयाँ 25% की दर से पात्र हैं तथा अधिकतम 25 लाख सब्सिडी अनु. जाति/अनु. जनजाति महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को एफ सी आई के 5% की दर से अतिरिक्त पूँजी निवेश सहायता। सौर ऊर्जा पर अतिरिक्त पूँजी निवेश पर 15% की दर से अतिरिक्त सब्सिडी जिसकी सीमा 0.5 मिलियन रु. है तथा डीजल जेनरेटरों में प्रदूषण नियन्त्रणी उपकरणों की स्थापना के लिए 10% अधिकतम 2 लाख रु. इकाइयाँ जो विविधीकरण/विस्तार/आधुनिकीकरण का कार्य करा रही है, वे संशोधित दरों पर सब्सिडी की हकदार हैं। महिला उद्यमियों	प्रथम 7 वर्षों के लिए 100%	नई इकाइयों को विद्युत कर से छूट	यह प्रोत्साहन हटा लिया गया है।	मार्जिन मनी ऋण योजना की राशि 1 लाख रु. से बढ़ाकर 25 लाख रु. 9% के ब्याज की कम दर पर की गई है।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
	द्वारा लगाई गई इकाइयों पर वे निम्न सहायता की पात्र हैं : क : उपकरण की 50% लागत या 75000 रु. इसमें जो भी कम हो। ख : निर्माण की लागत का 50% या 50,000 रु., इसमें जो भी कम हो। ग : भवन का किराया 1 वर्ष के लिए 750 रु. प्रति माह की दर से या वास्तव में अदा की गई राशि इसमें जो भी कम हो, स्वीकार्य किराये के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष 75%, तृतीय वर्ष 50% तथा चतुर्थ वर्ष 25% घ : प्रति माह 750/– रु. तक टेपरिंग अनुदान या कार्यकर्ताओं को दिया जानेवाला वेतन जिसकी प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार होगी : प्रथम वर्ष 100%, द्वितीय वर्ष 75%, तृतीय वर्ष 50% तथा चौथे वर्ष 25% ङ : प्रति माह प्रति प्रशिक्षार्थी 500 रु. छात्रवृत्ति के रूप में।				
मध्य प्रदेश	विकसित जिला – 5% (केवल बल क्षेत्र उद्योगों हेतु) उच्चतम सीमा 1 लाख रु. **पिछड़ जिले :** **श्रेणी 'क'** : सामान्य श्रेणी के लिए 7.5% जिसकी उच्चतम सीमा 1.5 लाख रु. है, 2 लाख रु. बल देनेवाले क्षेत्र में। **श्रेणी 'ख'** : सामान्य 10% उच्चतम सीमा	विकसित जिला : 125% 3 वर्षों की छूट के लिए या 4 वर्षों के आस्थगित हेतु 175% **पिछड़े जिले** **श्रेणी 'क'** : 5 वर्षों की छूट हेतु 150%, 7 वर्षों के आस्थगन हेतु 200% **श्रेणी 'ख'** : 6 वर्षों की छूट हेतु 200%, 8	केपेटिव जेनरेशन सेट/स्वयं के उपयोग हेतु 125 किवा. घ के उपकरण हेतु विद्युत शुल्क पर कोई पावर सब्सिडी छूट नहीं है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है तथा 125 किवा. घ से ऊपर के उपकरणों हेतु 5 वर्ष की छूट : 100% निर्यातोन्मुखी इकाई है तथा सतत	99 वर्षों के पट्टे पर भूमि/शेड आबंटित किए गए हैं।	सामान्य श्रेणी के उद्यमियों हेतु प्रतिवर्ष 25000 रु. ब्याज सब्सिडी अनु.जाति/अनु. जनजाति के उद्यमियों हेतु 6% की दर से जिसकी कोई सीमा नहीं है, आई एस ओ 9000 प्रमाणन पत्र करने के लिए 50% फीस की

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
	2 लाख रु. सहित, बल देनेवाले क्षेत्रों में 2.5 लाख रु. **श्रेणी 'ग'** : सामान्य हेतु 10% उच्चतम सीमा 2.5 लाख रु. सहित, बल देनेवाले क्षेत्रों में 3 लाख रु.,वृद्धि केन्द्रों में : 15% जिसकी उच्चतम सीमा 50,000 रु. है।	वर्षों के आस्थगन हेतु 250% **श्रेणी 'ग'** : 7 वर्षों की छूट हेतु 250%, 9 वर्षों की आस्थगन हेतु 300%	प्रक्रिया इकाई है जिसमें विद्युत कटौती से छूट है।		प्रतिपूर्ति
महाराष्ट्र	**विशेष पूँजी प्रोत्साहन—** **क्षेत्र ग :** एफ सी आई के नियत पूँजी प्रोत्साहन पर 20% अधिकतम 10 लाख रु., **क्षेत्र घ :** एफ सी आई का 30% अधिकतम 20 लाख रु., **क्षेत्र घ+ :** 35% अधिकतम 25 लाख रु. **जिले में जहाँ कोई उद्योग नहीं है :** 40% अधिकतम 35 लाख रु.—इनका संवितरण 5 वर्षों में एकसमान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा, विद्यमान एस आई तथा आई टी तथा बी टी इकाइयाँ 75% सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं, जैसा कि ऊपर लागू है विस्तार, परिवर्तन या आधुनिकीकरण में 25% या इससे अधिक की अतिरिक्त पूँजी निवेश शामिल है।	24 के वी आई को 20 मिलियन रु. प्रतिवर्ष तक बिक्री कर से छूट मिली हुई है, के वी आई उद्योगों की 72 शेष इकाइयों को बिक्री कर से छूट मिली है; आयकर उत्पादों पर 31 मार्च 2006 तक न्यूनतम फ्लोर दरों पर बिक्री कर में छूट।	ग, घ तथा घ+ क्षेत्रों तथा कोई उद्योग नहीं जिलों के नए उद्योगों को 15 वर्षों तक विद्युत शुल्क से छूट। अन्य क्षेत्रों में, 100% निर्यातोन्मुखी इकाई, आई टी बी टी इकाइयाँ तथा उद्योग जो एस ई जेड, ई एच टी पी में स्थित है, को 10 वर्षों के लिए बिजली शुल्क से छूट। राज्य की आई टी इकाइयों के लिए केपेटिव पावर जेनरेशन की आज्ञा, डी डी+ तथा कोई उद्योग नहीं जिलों में विद्यमान उद्योगों को केपेटिव पावर संयंत्र स्थापित करने की छूट है।	लागू नहीं।	सी डी तथा डी+ क्षेत्रों व नो इण्डस्ट्री जिलों की नई इकाइयों जिसमें आई टी, बी टी तथा विस्तार शामिल है, को मार्च 2006 तक स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क में छूट है। आई टी इकाइयों के लिए जो अन्य आई टी पार्क तालुको/राज्य के 'क' तथा 'ख' श्रेणी के क्षेत्रों के लिए स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क में 50% की छूट। 31 मार्च 2006 तक बढ़ाई गई चुंगी शुल्क की वापसी। नए वस्त्रोद्योग, हौजरी तथा निटवियर लघु इकाइयों को प्रति वर्ष 5% की ब्याज सहायता। **क्षेत्र ग** 4 वर्षों के लिए अधिकतम

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
					10 लाख रु. **क्षेत्र घ** 5 वर्षों के लिए अधिकतम 20 लाख रु. **क्षेत्र घ**+ 6 वर्षों के लिए अधिकतम 25 लाख रु. **नो इंडस्ट्री जिला** 7 वर्षों के लिए 3.5 मिलियन रु. रुग्ण लघु इकाइयों के वित्तपोषण के लिए पुन: अधिसूचित बकाया पर ब्याज दर 'क' क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों पर 10% लगेगा तथा अदायगी 60 मासिक किश्तों में की जा सकेगी।
मणिपुर	संयंत्र तथा मशीनरी पर 15% की दर से जो प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए 15 लाख रु. तक सीमित है, निर्यातोन्मुखी इकाइयों के 20% की दर से जो 20 लाख रु. तक सीमित है।	10 वर्षों के लिए 100% कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त 2 वर्ष।	5 वर्षों के लिए, 50% लिकिंग पावर की लागत 50,000/- रु. तक सीमित (55000रु. निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा कमजोर वर्ग हेतु), 10 अश्व शक्ति या उससे अधिक के डीजल जेनरेटिंग सेट के लिए 25%, उच्चतम सीमा 30,000 रु., निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा कमजोर वर्ग के लिए 30% की दर से उच्चतम सीमा 36000/- रु.	सम्भाव्यता रिपोर्ट 50% की दर से उच्चतम सीमा 25000, निर्यातोन्मुखी इकाई तथा कमजोर वर्गों हेतु 60% की दर से उच्चतम सीमा 30,000; तकनीकी जानकारी पर 50%, निर्यातोन्मुखी इकाई तथा कमजोर वर्गों हेतु 60%; परीक्षण उपकरणों हेतु 25%, भारतीय मानक ब्यूरो का पंजीकरण शुल्क तथा वार्षिक शुल्क 5 वर्षों के लिए, निर्यातोन्मुखी इकाई तथा कमजोर वर्गों के लिए 30% की दर से; आधुनिकीकरण हेतु राज्य : सी आई	कार्यकारी पूँजी पर प्रतिवर्ष 5% ब्याज सब्सिडी तथा 5 वर्षों के लिए मयादी ऋण; निर्यातोन्मुखी इकाई तथा कमजोर वर्गों के लिए 7% की दर से; स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क 100% की दर से; 30 लाख रु. प्रति वर्ष तक राज्य परिवहन सहायता; श्रमशक्ति विकास सहायता प्रति प्रशिक्षार्थी 50% की दर से या 3500/- रु., निर्यातोन्मुखी इकाई तथा कमजोर वर्गों के लिए 60% की दर से या 4000/- प्रति लाभार्थी।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
				एस 15% की दर से या 1 लाख रु.; 30 साल के पट्टे पर विकसित भूमि, लघु उद्योगों के लिए विकास कार्यों पर 25% की दर से सहायता, निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा कमजोर वर्गों के लिए 30% की दर से सभी श्रेणी हेतु फैक्ट्री शेड के लिए 50% तक मासिक किराया सब्सिडी, निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा कमजोर वर्गों हेतु 55%।	
मिजोरम	नई तथा विद्यमान इकाइयों को विस्तार/विविधता/आधुनिकीकरण, संयंत्र तथा मशीनरी पर पूँजीनिवेश के लिए ग्रेडिड स्तर पर सब्सिडी निम्न प्रकार दी जानी है : 1. कारीगर तथा अति लघु इकाइयाँ : 15% सामान्य तथा 20% बल देने योग्य क्षेत्रों में 2. लघु उद्योग इकाइयाँ : 10% जो सामान्य के लिए 5 लाख रु. तक सीमित है तथा 15% बल देनेवाले क्षेत्रों के लिए जो 7 लाख रु. तक सीमित है। वृद्धि केन्द्रों में उद्योगों को आबंटित विकसित भूमि की 25% लागत को आर्थिक सहायता प्राप्त लघु इकाइयों को तथा शेष राशि वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए बन्धक हेतु रखा है। 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों को अतिरिक्त	बल देनेवाले क्षेत्रों में राज्य बिक्री कर में 10 वर्षों की छूट तथा अन्य क्षेत्रों में 7 वर्ष की छूट	लघु इकाइयों द्वारा विद्युत उपयोग पर हुए व्यय पर 5 वर्षों के लिए 60% प्रतिपूर्ति मैन लाइन से फैक्ट्री शेड तक इलैक्ट्रिक लाइन बिछाने पर आई लागत का 50% सब्सिडी जो प्रति इकाई 50,000/– रु. तक सीमित है। केपेटिव उपयोग के बिक्री तथा स्थापना के लिए पावर जेनरेटिंग सेट की लागत का 50% प्रतिपूर्ति जो 0.3 मिलियन रु. तक सीमित है। इस प्रकार के पावर जेनरेशन पर कोई विद्युत शुल्क देय नहीं है।	लघु तथा अति लघु इकाइयों को घोषित औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर आबंटित अविकसित भूमि के विकास पर वास्तव में खर्च व राशि का 25% प्रतिपूर्ति। लघु तथा अति लघु क्षेत्र को औद्योगिक सम्पदा में बिल्ड अप फैक्ट्री शेड आबंटित हेतु 5 वर्षों के लिए मूल्यांकित किराये पर 50% प्रतिपूर्ति इकाइयाँ जो अपने कामगारों को राज्य से बाहर प्रबन्धकीय तथा तकनीकी प्रशिक्षण दिला रही हैं को वास्तविक व्यय का 50% प्रतिपूर्ति होगी जो 3000/– रु. प्रति प्रशिक्षार्थी तथा 25000/– रु. प्रति इकाई सीमित है।	परियोजना रिपोर्ट लागत की प्रतिपूर्ति – 90% जो अतिलघु इकाइयों के लिए 5000/– रु. तक तथा लघु उद्योगों व आनुषंगिक इकाइयों के लिए 75% जो 25000/– रु. तक सीमित है। मयादी तथा कार्यकारी पूँजी पर एफ आई द्वारा लगाये गये प्रभार पर ब्याज में 5 वर्षों हेतु सहायता बशर्ते समय पर ऋण की अदायगी हो। औद्योगिकी संयंत्र तक मशीनरी को क्रम स्थान से इकाई के स्थल तक पहुँचाने की परिवहन लागत की 50% प्रतिपूर्ति।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
	5% की सहायता जो 5 लाख रु. तक सीमित है। 100 निर्यात से कम वादा करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त 2% की सहायता जो 2 लाख रू. तक सीमित है				पंजीकरण फीस, परीक्षण फीस, मार्किंग फीस तथा परीक्षण उपकरणों की खरीद पर होनेवाले व्यय की 10% प्रतिपूर्ति जो सामान्य क्षेत्र के लिए 1 लाख रु. तथा बल देने वाले क्षेत्रों पर 1.5 लाख रु. तक सीमित है। मान्यता प्राप्त प्रमोशन कौंसिल वस्तु बोर्ड, चैम्बर आफ कॉमर्स से पंजीकरण प्राप्त करने के लिए खर्च राशि की प्रतिपूर्ति जो 20,000/– तक सीमित है।
मेघालय	15% अधिकतम 3.5 लाख रु.; अतिरिक्त 5% इकाइयाँ जो अपने उत्पादन का 25% निर्यात कर रही हैं को अधिकतम 5 लाख रु.	तैयार उत्पादों पर 9 वर्षों के लिए बिक्री कर पर छूट, राज्य पूँजी निवेश सहायता के एवज में बिक्री कर छूट अतिरिक्त 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा जो पूँजी निवेश सहायता तक ही सीमित है।	2 मेगावाट कनेक्टिड लोड तक के लिए 30% तथा 25% की दर से तथा 5 वर्षों के लिए 2 मेगावाट से ऊपर, अधिकतम 2 लाख रु. वार्षिक तक सीमित, 50% तक सर्विस कनेक्शन की लागत की प्रतिपूर्ति जो प्रति इकाई 2000 रु. तक सीमित है।	विकास सहायता 10% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रु. है। संभाव्य/परियोजना रिपोर्ट : 25,000 रु. तक 100% सहायता, प्रयोगशाला उपकरणों की लागत की 10,000 रु. तक प्रतिपूर्ति यदि वह परियोजना लागत में शामिल नहीं है।	स्थानीय रोज़गार अनुदान स्थानीय आदिवासी कर्मचारियों के वास्तविक वेतन बिल की 30% तक वार्षिक प्रतिपूर्ति, लघु उद्योग/अति लघु उद्योग इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क में 75% छूट, मयादी ॠण पर 4% की दर से ब्याज अदायगी पर सब्सिडी जो 5 वर्षों के लिए प्रति माह 10,000 रु. तक सीमित है।
नागालैंड	निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अतिरिक्त 5% की सहायता जो 3 लाख रु. तक सीमित है।	निर्दिष्ट उद्योगों की सभी नई इकाइयों के लिए 7 वर्षों की छूट	2 मेगावाट तक के कनेक्टिड लोड के लिए पावर प्रशुल्क पर 30% की दर से सहायता तथा 2 मेगावाट से	विशेष ई डी पी प्रशिक्षण के लिए 3 माह या उससे अधिक की अवधि के कोर्स हेतु प्रति वर्ष 100 युवकों के	सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट पर लागत के 50% की दर से सब्सिडी जो नई इकाइयों के लिए जिन्होंने

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
			अधिक के लिए 5 वर्षों तक 25% की दर से प्रशुल्क जो वार्षिक 2 लाख रु. तक सीमित है। 33/11 के वी लाइन के ड्रावल की लागत की प्रतिपूर्ति जो 2 लाख रु. तक सीमित है।	लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 500 रु. की दर से वृत्तिका।	संयंत्र तथा मशीनरी पर 25 लाख रु. से ऊपर खर्च किए हों के लिए 1 लाख रु. तक सीमित; स्थानीय आदिवासी कर्मचारी जो 3 वर्ष से अधिक से नियोजित है के लिए वास्तविक वेतन बिल का 25% तक श्रमशक्ति सहायता जो 1 लाख रु. वार्षिक तक सीमित है। पात्र इकाइयाँ संयंत्र तथा मशीनरी पर 1 लाख रु. से अधिक का पूँजीनिवेश करें तथा नियोजित कर्मचारी भी 20 से अधिक होने चाहिए जिसमें कम से कम 50% स्थानीय आदिवासी युवक होने चाहिए। स्टाम्प शुल्क में 50% की दर से 5 वर्षों के लिए छूट सरकारी भण्डार क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्यों में 15% की तरजीह।
उड़ीसा	नई औद्योगिक इकाइयाँ (विभिन्न जिलों हेतु) 20%, 20 लाख रु.	कच्चा माल तथा कलपुर्जों की खरीद पर बिक्री कर में छूट : कच्चा माल तथा कलपुर्जों की खरीद पर बिक्री	500 किवा घ. की संविदा माँग सहित नई औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्षों तक विद्युत शुल्क अदायगी पर छूट	परियोजना रिपोर्ट लागत की प्रतिपूर्ति : अति लघु इकाइयाँ – 90% तक बशर्ते उसकी उच्चतम सीमा 5000 रु. प्रति	विपणन सहायता : बयाने की राशि जमा कराने से छूट तथा प्रतिभूति जमा कम दरों पर।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
	15%, 15 लाख रु. 10%, 10 लाख रु. आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए अधिकतम 7 वर्षों हेतु अतिरिक्त नियत पूँजी निवेश का 100% (इकाई के कार्यस्थल के आधार पर)	कर में छूट : क : अधिकतम 7 वर्षों के लिए 100% (स्थल की श्रेणी के आधार पर) ख : एक आधुनिकीकृत/विस्तार इकाई के लिए उपरोक्तानुसार समान मानदण्ड ग : 8 वर्षों के लिए अधिकतम 1 मिलियन रु. के पूँजीनिवेश पर लघु उद्योगों को 200% की छूट		इकाई हो। लघु उद्योग – 75%, अधिकतम सीमा 25,000 रु. प्रति इकाई शेड का आबंटन राज्य सरकार द्वारा प्रथम 5 वर्षों के लिए 50% किराया वापिस देना होगा।	नई औद्योगिक इकाइयों को मशीनरी तथा उपकरणों पर चुंगी की अदायगी से छूट। पुनर्वास के अन्तर्गत मालिकाना/भागीदारी इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट।
पंजाब	श्रेणी क : 30% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रु. है। श्रेणी ख : 20% की दर से, 30 लाख रु.। एफ सी आई के 30% की दर से निर्यातोन्मुखी इकाइयों को 30% की दर से जिसकी सीमा 50 लाख रु. है। ग्रामीण उद्योग इकाइयों को एफ सी आई के 30% की दर से जो अधिकतम 50 लाख रु.।	बिक्री कर छूट/आस्थगन : **क श्रेणी के क्षेत्र :** एफ सी आई के 300% को 120 माह में प्राप्त किया जाना, तथा **ख श्रेणी के क्षेत्र :** 84 माह के अन्दर एफ सी आई का 150% प्राप्त किया जाना **निर्यातोन्मुखी इकाइयों हेतु** एफ सी आई के 300% पर 10 वर्ष अधिकतम।	1998 की अधिसूचना के आधार पर कृषि आधारित इकाइयों को 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क से छूट	आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आई एस ओ मानक प्राप्त करने पर सिडबी/एन एस आई सी/पी एफ सी या वाणिज्यिक बैंकों की आर्थिक सहायता से विशेष लघु उद्योग शाखाओं द्वारा अग्रिम ऋण लेने पर 7% से अधिक ब्याज।	इलैक्ट्रोनिक इकाइयों पर 7 वर्षों हेतु सी एस टी प्रभार केवल 1% की दर से लगेगा। अत: 3 वर्षों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर तथा पंजाब बिक्री कर 3.5% की दर से लगेगा। संस्वीकृत तथा संवितरित मयादी ऋण पर कुल ब्याज का 5% की दर से ब्याज सहायता। आई टी इकाइयाँ 25% की दर से जेनरेटिंग सेट सब्सिडी प्राप्त करने की पात्र हैं जो अधिकतम 2 लाख रु. होगा। गुरमुखी आलेख में आई टी विकास कुल बिक्री का 5%, जो 3 वर्षों के लिए 5 लाख रु. प्रतिवर्ष होगा यदि 10 से अधिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को संलग्न किया जाए।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
					पंजाब/चंडीगढ़ अधिवासी कर्मचारियों के लिए आई टी में एच आर डी के लिए विशेष सहायता 25% की दर से, अधिकतम 10 लाख रु. प्रति वर्ष, 5 वर्षों के लिए। आईटी पार्क में सम्पत्ति स्थानान्तरण पर केवल स्टाम्प शुल्क में छूट, अधिकतम पंजीकरण शुल्क प्रभार 1000 रु. हार्डवेयर इकाइयों के लिए प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों की लागत पर 20% की सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रु. है।
पांडिचेरी	लागू नहीं	पाइपलाइन में जो उद्योग हैं, कुछ शर्तों के साथ वे बिक्री कर से छूट के पात्र हैं; आई टी उद्योगों को 10 वर्षों के लिए बिक्री कर से छूट।	लागू नहीं	लागू नहीं।	5 वर्षों के लिए आयकर से छूट (नई इकाइयाँ) जिन्होंने उत्पादन 1.4.1993 के बाद शुरू किया हो लेकिन 31.3.2002 से पहले हो। सरकारी विभागों के टैंडर के लिए बयाना राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा की अदायगी से छूट।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
					सरकारी विभागों को की जानेवाली आपूर्ति के लिए 15% की मूल्यों में तरजीह। इकाइयाँ जो भारतीय मानक ब्यूरो के साथ पंजीकृत है व एफ आई से ऋण प्राप्त है को 1% की ब्याज सहायता जो 5 वर्षों के लिए अधिकतम 20000 रु. प्रतिवर्ष है।
राजस्थान	वर्ष 2003 तक सी आई एस योजना का स्थान ब्याज सब्सिडी योजना ने लिया है तथा इकाइयाँ जिन्होंने संयंत्र तथा मशीनरी पर वित्तीय संस्थानों द्वारा नियत 2% की ब्याज दर पर 60 लाख रु. तक निवेश किया है, पर लागू हैं। अधिसूचित तथा पात्र इकाइयों के लिए केवल राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड पूँजी निवेश सब्सिडी उपलब्ध है जिनका नियत पूँजी निवेश 20% की दर से 5 लाख रु. से 3 करोड़रु. तक है या 20 लाख रु. जो 2001 तक लागू रहा।	लागू नहीं।	लघु उद्योगों जिन्होंने संयंत्र तथा मशीनरी पर 60 लाख रु. से अधिक निवेश नहीं किया हो, के लिए डी जी सेट की खरीद पर 31 मार्च 2003 तक 25% की दर से सब्सिडी या 2.5 लाख रु.। केपेटिव पावर इकाइयों को विद्युत शुल्क से छूट है।	उद्योगों जिन्होंने भूमि तथा भवन पर 20 लाख रु. तक पूँजी निवेश किए हैं, को भूमि तथा भवन कर से छूट।	कस्टम बोंड पर 1% की स्टाम्प शुल्क जिसमें अधिकतम 25000 रु. से 1000 रु. की कमी की गई है, अगस्त 1998 से चुंगी हटा दी गई है।
सिक्किम	लागू नहीं।	लागू नहीं।	उपयोग की गई विद्युत की 50% प्रतिपूर्ति	व्यय का 100%, भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद जिसमें परीक्षण उपकरणों की खरीद शामिल है, का प्रमाणन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 25,000	कार्यकारी पूँजी ऋण पर 14% से अधिक ब्याज होने पर 5 वर्षों के लिए ब्याज सहायता शिल्पी तथा अति लघु इकाइयों को 10,000 रु.

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
				की प्रतिपूर्ति, संवर्धन परिषद, आई एस आई वस्तु बोर्ड, चैम्बर आफ कॉमर्स आदि के पास पंजीकरण के लिए 10,000 रु. या वास्तविक अदा किया गया शुल्क।	या वास्तविक अदा राशि इसमें जो भी कम हो, लघु उद्योग इकाइयों 50,000 रु. या वास्तविक अन्तर, इसमें जो भी कम हो। स्थानीय इकाइयों को 15% तक मूल्यों में तरजीह दी जाएगी, निविदाकर द्वारा सरकारी विभागों से खरीद करने पर कोई प्रतिभूति जमा या बयाना राशि नहीं ली जाएगी।
तमिलनाडु	15% की दर से जो पिछड़े ब्लाकों में अधिकतम 15 लाख रु. होगी, अधिक पिछड़े ब्लाकों में 20% जो 20 लाख रु. तक सीमित है, बल देनेवाले क्षेत्रों में 20% की दर से विशेष सहायता जो इलैक्ट्रोनिक तथा चमड़ा उद्योग के लिए 20 लाख रु. तक सीमित है, विनिर्दिष्ट नौ उद्योगों को 20% की दर से विशेष पूँजी सहायता जो अधिकतम 15 लाख रु. होगा।	अधिक पिछड़े क्षेत्रों में 9 वर्षों के लिए नियत परिसम्पत्ति पर 100% का आस्थगन/5 वर्षों के लिए अधित्याग। अन्य क्षेत्रों में नियत परिसम्पत्तियों पर 60% पर 5 वर्षों हेतु आस्थगन	एल टी विद्युत रियायत प्रथम 3 वर्षों के लिए 40%, 30% तथा 20% स्थानीय प्रतिबद्धताओं सहित।	जेनरेटर सहायता लागत के 50% की दर से जो 5 लाख रु. तक सीमित है; कोयम्बटूर तथा मदुराई के उद्भवन केन्द्रों पर सोफ्टवेयर उद्यमियों को किराया आधार पर सुविधा उपलब्ध कराता है।	राज्य स्तरीय पुरस्कार 10,000 रु. का नकद पुरस्कार 3000 रु. मूल्य का मोमेन्टो तथा योग्यता प्रमाण पत्र, जिला स्तर का पुरस्कार, मोमेन्टो जिसकी कीमत 3000 रु. है तथा योग्यता प्रमाणपत्र महिला उद्यमी पुरस्कार राज्य स्तरीय – 25,000 रु., 15,000 रु. तथा 10,000 रु. के नकद पुरस्कार, मोमेन्टो जिसकी कीमत 3000 रु. है तथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए योग्यता प्रमाणपत्र, गुणवत्ता पुरस्कार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार 25,000 रु., 15,000 रु. तथा 10,000 रु. की राशि के, 3000 रु. की कीमत का मोमेन्टो तथा योग्यता प्रमाणपत्र, निर्यात पुरस्कार – अग्रणीय उद्यमियों को

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
त्रिपुरा	30% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रु. है। बल देनेवाले क्षेत्र में/निर्यातोन्मुखी इकाइयों को 50% तक अतिरिक्त सहायता	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	3000 रु. का मोमेन्टो तथा 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों के अन्तर्गत वे इकाइयों को योग्यता प्रमाणपत्र जो निर्यात कवरिंग नई मदों में पर्याप्त रुचि दिखाते हैं, नया बाजार तथा निर्यात आरम्भ करनेवाली इकाई शामिल हैं। सरकार द्वारा खरीद पर 15% की मूल्यों में तरजीह, ब्याज अदायगी प्रतिपूर्ति 4% की दर से 1 मानक प्रमाणन प्रभारो पर 15% तक की प्रतिपूर्ति अगरतला–कोतकाता, अगरतला–गुवाहाटी तथा अगरतला–दिल्ली का श्रेणी आधार पर 50% तक इमदादी जहाजी माल प्रशुल्क, ए पी ई डी ए द्वारा विनिर्दिष्ट निर्यातित कृषि उत्पादों पर इमदादी भाड़ा दर, उद्योगों हेतु प्राकृतिक गैस के लिए 1700 रु. हजार की दर से एस सी एम पर रियायती मूल्य तथा प्रति एस सी एम पर 300 रु. की अतिरिक्त सहायता विभिन्न मामलों में अलग–अलग है।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	**नई इकाइयाँ** 4 वर्षों के लिए 100%, अगले 3 वर्षों के लिए 75% अगले 2 वर्षों के लिए 50% तथा 3 अन्य वर्षों के लिए 25% जो 250% तक सीमित है। **विस्तार** हेतु, 2 वर्षों के लिए 100% अगले 3 वर्षों के लिए 75%, अगले 1 साल के लिए 50% तथा अगले 2 वर्षों के लिए 25% जो 200% तक सीमित है, **पिछड़े संघटन के लिए** 100% 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए 75%, अगले 2 वर्षों के लिए 50% तथा शेष 2 वर्षों के लिए 25% जो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए 175% तक सीमित।	संघ जो औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत संवितरण तथा बिलों के एकत्रीकरण का कार्य करते हैं, को अधिकांश विद्युत आपूर्ति में छूट; अतिरिक्त केपेटिव पावर की तीसरी पार्टी बिक्री की अनुमति।	अधिसूचित क्षेत्रों/पिछड़े जिलों की परिसम्पत्तियों में इमदादी दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है; औद्योगिक सम्पदा में प्लाटों के आबंटन हेतु इच्छुक अधित्याग	ई ओ यू, ई पी जेड ई एच पी टी/एस पी टी इकाइयों द्वारा कच्चा माल तथा पेकिंग सामग्री खरीदने के लिए कर में छूट; जबकि अन्य इकाइयाँ 2.5% की रियायती दर प्राप्त करती हैं।
पं. बंगाल	15% की दर से, ग्रुप बी क्षेत्र में अधिकतम 1.5 करोड़ रु., 25% की दर से ग्रुप सी क्षेत्र में 2.5 करोड़ रु. चमड़ा इकाइयों को अति लघु तथा कोलकाता लेदर कम्पलैक्स में विनिर्मित दोनों इकाइयों की पुन: स्थिति हेतु संयंत्र तथा मशीनरी पर नये निवेश का 25%	लागू नहीं	5 वर्षों के लिए विद्युत उपयोग पर विद्युत शुल्क अधित्याग	प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र की स्थापना तथा आई एस आई प्रमाणन/आई एस ओ 9000 : प्राप्त करने पर आय व्यय की 50% प्रतिपूर्ति अधिकतम 50 लाख रु.; आई टी, इलैक्ट्रोनिक्स, कृषि तथा खाद्य-संसाधित तथा एच पी एल अधोमुखी परियोजनाओं की नई इकाइयों में ग्रुप ए में स्थित विद्यमान इकाइयों के अनुमोदित विस्तार इकाइयों वही प्रोत्साहन सुविधाएँ पाने की पात्र हैं जैसी ग्रुप बी के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार की ग्रुप बी तथा सी क्षेत्रों की इकाइयों को 10% की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता की पात्र है, अतिरिक्त 2 वर्षों की अवधि के लिए 20 लाख	वार्षिक ब्याज देनदारी का 50% ब्याज सहायता जो अधिकतम 10 मिलियन रु. तक होगी जो ग्रुप बी इकाइयों के लिए 5 वर्ष तथा ग्रुप सी क्षेत्र के लिए 7 वर्ष। ई एस आई तथा ई पी एफ को योगदान देने में आय व्यय का 75% प्रतिपूर्ति 5 वर्ष ग्रुप बी के लिए तथा 7 वर्ष ग्रुप सी के लिए। 50% स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क में छूट। बकाया को पिपड़ गैस में उपयोग करने के परिवर्तन हेतु आए निवेश

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
				रु. की सब्सिडी। इस प्रकार की नई इकाइयों को स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस पर पूर्ण छूट की पात्र है।	का 75% अधिकतम 1 मिलियन रु., नई इकाइयाँ भी पात्र। 5 वर्ष के लिए विनिर्माण प्रचालन में उपयोग में आई गैस पर 25% की दर से गैस प्रभार।
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	25%, 25 लाख रु. तक सीमित	लागू नहीं	लागू नहीं	औद्योगिक प्लाट 120 रु. प्रति वर्ग मी. के नाममात्र दर पर (प्रति वर्ष) तथा निर्मित शेड 3.10 रु. प्रति वर्ग मीटर के मासिक दर पर : जेनरेटिंग सेट तथा घेरलू वाटर हारवेस्टिंग उपकरण पर 2.8 लाख रु. तथा 1 लाख रु. क्रमश: का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा : 50% सब्सिडी उद्यत जेनसेट तथा भूमि विकास उपकरणों के लिए 1 लाख रु. तक; 50% सब्सिडी घरेलू जल हारवेस्टिंग उपकरणों पर सीमा 50,000 रु. तक	द्वीपसमूह – मैनलैंड तथा इन्टरलैंड केन्द्रीय परिवहन सब्सिडी 90% की दर से 5 वर्षों के लिए, अति लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए मिश्रित ऋण 7% की कम दरों पर मयादी ऋण तथा 10% कार्यकारी पूँजी पर; मैनलैंड पर बाजार उत्पादों के लिए 50,000 रु. तक ब्याज रहित ऋण, क्रेडिट गारंटी 10 लाख रु. तक।
चंडीगढ़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लघु उद्योगों से खरीद पर मूल्य तरजीह राज्य पुरस्कार या प्रोन्नति। बिक्री संवर्धन के लिए 'चंडीकृत' आयोजित करना। भारत में तथा विदेशों में व्यापार मेलों में भागीदारी का प्रबन्ध।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियत पूँजी निवेश पर राजसहायता (प्रतिशत मानदण्डों पर, अधिकतम सीमा लाख रु. में)	नियत पूँजी निवेश पर बिक्री कर राहत की प्रतिशतता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	बिजली राजसहायता (उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से)	आधारभूत संरचना/तकनीकी सहायता	अन्य
दादरा व नागर हवेली	लागू नहीं	सभी श्रेणी की इकाइयों को 15 वर्ष की अवधि के लिए छूट यदि अनन्तिम पंजीकरण प्राप्त/31 दिसम्बर 1999 को या उससे पहले प्राप्त कर लिया हो तथा एस टी/सी एस टी पंजीकरण 30 अप्रैल 2002 तक या उससे पहले लिया गया हो	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई चुंगी शुल्क नहीं लगता इकाइयाँ जिन्होंने 1 अप्रैल 1993 तथा 31 मार्च 2002 के बीच में उत्पादन आरम्भ किया हो, ऐसी इकाइयों को 5 वर्ष के लिए 100% आयकर होलीडेज से छूट
दमन एवं दीव	लागू नहीं	लघु उद्योगों को बिक्री कर से 15 वर्ष की छूट	दरें 2.15 रु. एच. टी के लिए तथा 2.10 रु. एल टी प्रति इकाई हेतु	लागू नहीं	चुंगी प्रशुल्क समाप्त कर दिया गया है। स्टाम्प शुल्क अदायगी पर 50% की छूट, आरम्भिक 5 वर्षों के लिए आई टी अधिनियम के अन्तर्गत लाभ तथा प्राप्ति पर 100% कटौती जो 31 मार्च 2000 तक बढ़ा दिया गया। लघु उद्योगों के लिए एक खिड़की सूचना सेवा।
दिल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3 औद्योगिक सम्पदाओं में औद्योगिक प्लाटों की कीमतों में 50% गैर–अर्जित वृद्धि	'स्वरोजगार के लिए समुदाय' की स्थापना की गई ताकि फैशन डिजाइन, रिपेयर तथा घरेलू सामान का रखरखाव पर अल्प अवधि प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।
लक्ष्यद्वीप	एफ सी आई का 25%	लागू नहीं	लागू नहीं	90%/75% परिवहन सब्सिडी मैनलैंड, आईलैंड तथा इन्टरलैंड के बीच।	30 व्यक्तियों के लिए वार्षिक ई डी पी चलाना। सहकारी सोसाइटियों से युवाओं को पूँजी योगदान उपलब्ध कराना। युवाओं को परम्परागत हथकरघा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना।